



# कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर (छ.ग.)

प्रतापपुर रोड, अम्बिकापुर (छ.ग.) पिन कोड-497001

फोन : 07774-240544, फैक्स : 07774-240682 E-mail : ccf.sarguja-cg@gov.in

## // विज्ञापन //

छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग के सरगुजा वनवृत्त अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों/वनमंडलों में वनरक्षक/गेमगार्ड के रिक्त पदों की सीधी भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन दिनांक 11.08.2018 से दिनांक 20.08.2018 शाम 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। यह पद वनमण्डल स्तर के है। आवेदन पत्र कॉलम 11 में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाना है तथा इन पदों पर चयन/नियुक्ति की कार्यवाही भी कॉलम 11 में दर्शित प्राधिकारी द्वारा ही की जायेगी।

क्र.	जिले का नाम	कार्यालय/ वनमण्डल का नाम	पदनाम	अनारक्षित		अ.पि.वर्ग	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल पद	चयन/नियुक्ति की कार्यवाही हेतु प्राधिकारी
				मुक्त	महिला	मुक्त	मुक्त	मुक्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सरगुजा	सरगुजा	वनरक्षक	0	0	0	0	0	0	व.म.अ. सरगुजा अम्बिकापुर
			गेमगार्ड	2		1	0	3	6	
2	सूरजपुर	सूरजपुर	वनरक्षक	3	0	0	0	2	5	व.म.अ. सूरजपुर
			गेमगार्ड	1	0	0	0	5	6	
3	कोरिया	कोरिया	वनरक्षक	2	0	1	0	2	5	व.म.अ. कोरिया बैकुण्ठपुर
			गेमगार्ड	2	0	1	0	3	6	
4	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	वनरक्षक	3	0	1	0	2	6	व.म.अ. मनेन्द्रगढ़
			गेमगार्ड	0	0	0	0	0	0	
5	कोरिया	गु.घा.रा.उ. बैकुण्ठपुर	वनरक्षक	1	1	1	0	3	6	संचालक गुरु घसीदास .रा.उ.
			गेमगार्ड	0	0	0	0	0	0	
6	जशपुर	जशपुर	वनरक्षक	1	0	1	0	4	6	व.म.अ. जशपुर
			गेमगार्ड	1	0	1	0	4	6	
7	बलरामपुर	बलरामपुर	वनरक्षक	1	0	0	0	4	5	व.म.अ. बलरामपुर
			गेमगार्ड	1	0	1	0	4	6	
योग :-				18	1	8	0	36	63	

श्रीप-1)

- 1) पदों की संख्या में वर्गवार कमी या वृद्धि हो सकती है। चयन/नियुक्ति के समय वास्तविक रिक्तियों के विरुद्ध चयन/नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी तथा भर्ती प्रक्रिया अनुसार 25 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची में से प्रथम जारी नियुक्ति आदेश के आवेदकों के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उक्त पद के विरुद्ध रिक्त होने वाले पदों पर प्रतीक्षा सूची में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की जावेगी।
- 2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु पदों का निर्धारण शासन द्वारा निर्धारित जिला स्तरीय सीधी भर्ती के आरक्षण रोस्टर के अनुसार है।
- 3) छ.ग. शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 03-18/2013/10-1/वन दिनांक 26.4.2017 द्वारा भर्ती वर्ष 2017 एवं 2018 के लिए वनरक्षक भर्ती में महिला आरक्षण 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के पत्र क्रमांक-एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3 रायपुर दिनांक 25.02.2015 अनुसार वनरक्षक भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है एवं छ.ग. तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2012 एवं संशोधन दिनांक 04.08.2014 द्वारा वनरक्षक भर्ती में खिलाड़ियों के लिये आरक्षण 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
- 4) वनरक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु की जाने वाली नियुक्तियां माननीय न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/ निर्णय के अधीन रहेगी।
- 5) रिक्त पद निर्धारित अर्हता आवेदन का प्रारूप तथा अन्य संबंधित जानकारी वन विभाग की वेबसाईड [www.cgforest.nic.in](http://www.cgforest.nic.in) अथवा [www.cgforest.com](http://www.cgforest.com) पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इसका भलीभांति अध्ययन कर ही आवेदन पत्र भरे।
- 6) वनरक्षक भर्ती में समय-समय पर की गई कार्यवाही भी उक्त वेबसाईड पर समय-समय पर अपलोड किया जायेगा। अतः अभ्यर्थियों द्वारा समय-समय पर अद्यतन जानकारी के लिए देखते रहे।

मुख्य वन संक्षक

सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर (छ.ग.)

**-- :: शैक्षणिक, तकनीकी अर्हताओं तथा वेतनमान का विवरण :: --**

(1) वेतन :- 19500-62000 (लेवल-4)

प्रारंभिक वेतन - 19500/-

(2) शैक्षणिक अर्हताएं :-

मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकण्डरी परीक्षा (10+ 2) उत्तीर्ण।

(3) शारीरिक अर्हताएं :-

(3.1) वनरक्षक पद के लिये न्यूनतम शारीरिक प्रमाण (स्टेण्डर्ड) निम्नानुसार होगा :-

शारीरिक माप	पुरुष अभ्यार्थी	महिला अभ्यार्थी
ऊंचाई		
अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु	152 से.मी.	145 से.मी.
अन्य	163 से.मी.	150 से.मी.
सीना सामान्य (समस्त वर्ग)	79 से.मी. (न्यूनतम)	—
सीने का फुलाव (समस्त वर्ग)	05 से.मी.(न्यूनतम)	—

(3.2) अन्य अर्हता - पैदल चाल :-

पुरुष - 25 किलोमीटर 04 घण्टे में पूर्ण करना आवश्यक।

महिला - 14 किलोमीटर 04 घण्टे में पूर्ण करना आवश्यक।

(4) आयु सीमा :-

दिनांक 01/08/2018 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट शासन के नियमों व शर्तों के अनुसार रहेगी।

छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के क्रमांक/एफ 3-2/2015/1-3 रायपुर दिनांक 23.01.2017 द्वारा छ.ग.स्थानीय निवासियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट दी जाकर अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। विशेष वर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा में देय अन्य छूट यथावत लागू रहेगी, किन्तु ऐसी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**5) चयन परीक्षा :-**

आवेदन पत्रों की जांच पश्चात् शासन द्वारा निर्धारित संलग्न अनुसार चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। अर्ह अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार प्रतियोगी परीक्षा/साक्षात्कार के लिये बुलाया जावेगा, जिसके लिए तिथि निर्धारित होने की सूचना पृथक से भेजी जावेगी। यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

**(6) परीक्षा केन्द्र :-**

परीक्षा केन्द्र की सूचना पृथक से दी जायेगी।

**(7) निवासी :-**

उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

**(8) जाति प्रमाण :-**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार का जाति संबंध प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हों।

**(9) भर्ती प्रक्रिया: -**

**(9.1) आवेदन पत्रों की जांच-** आवेदकों से निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं छानबीन करने उपरांत समस्त निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों की वर्गवार सूचियां न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में प्राप्तांकों के गुणानुक्रम में तैयार की जायेगी। भर्ती हेतु उपलब्ध वर्गवार कुल रिक्त पदों की संख्या के 15 गुना आवेदकों को प्राविणता के आधार पर शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा की आगामी चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा।

**(9.2) मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन :-**

**(9.3)** शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा पात्र अभ्यर्थियों को आयु एवं शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु मूलप्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं स्थान में उपस्थित होना आवश्यक है। अभिलेख परीक्षण उपरांत पात्र उम्मीदवारों को ही शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा।

**(9.4)** शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व पात्र अभ्यर्थी सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन के लिये निम्न मूल प्रमाण पत्र साथ में लेकर आवें। (शैक्षणिक/ योग्यता/ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, क्रिमीलेयर न होने संबंधित प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रणाम पत्र) अभिलेख परीक्षण उपरांत पात्र उम्मीदवारों को ही शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा।

**(9.5)** पात्र अभ्यर्थी अपने समस्त प्रमाण पत्रों 01 सेट छायाप्रति (राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित) एवं स्वयं का दो पासपोर्ट साईज फोटो एवं आधार कार्ड अपने साथ लेकर आवें।

9.6) **शारीरिक नापजोख**— उपरोक्तानुसार चयनित उम्मीदवारों का शारीरिक नापजोख (ऑखों की दृष्टि एवं ऑखों से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर किया जायेगा। शारीरिक नापजोख में विवाद की दशा में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

शारीरिक नापजोख में न्यूनतम अर्हता प्रमाणित होने के बाद ही योग्य उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता की आगामी परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा। शारीरिक नापजोख के पूर्व उम्मीदवार के फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान लिया जायेगा।

(9.7) **शारीरिक दक्षता परीक्षा**— उपरोक्तानुसार योग्य सभी उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 60 अंकों की होगी और इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएं सम्मिलित होंगी।

- क) 200 मीटर दौड़ — 15 अंक  
 ख) 800 मीटर दौड़ — 15 अंक  
 ग) लम्बी कूद — 15 अंक  
 घ) गोला फेंक — 15 अंक  
 ड.) आइटम 'क' से 'घ' तक की स्पर्धा के लिए दिये जाने वाले अंकों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: —

प्रतिस्पर्धा	पुरुषों के लिए		महिलाओं के लिए	
	समय/नाप	अंक	समय/नाप	अंक
200 मीटर दौड़ (1 प्रयास)	24.50 सेकण्ड से कम	15	28.50 सेकण्ड से कम	15
	25.50 सेकण्ड से कम	12	30.50 सेकण्ड से कम	12
	27.00 सेकण्ड से कम	9	31.50 सेकण्ड से कम	9
	28.50 सेकण्ड से कम	6	33.00 सेकण्ड से कम	6
	30.00 सेकण्ड से कम	3	34.50 सेकण्ड से कम	3
	30.00 सेकण्ड से अधिक	0	34.50 सेकण्ड से अधिक	0
800 मीटर दौड़ (1 प्रयास)	2 मिनट 10 सेकण्ड से कम	15	3 मिनट से कम	15
	2 मिनट 20 सेकण्ड से कम	12	3 मिनट 10 सेकण्ड से कम	12
	2 मिनट 30 सेकण्ड से कम	9	3 मिनट 25 सेकण्ड से कम	9
	2 मिनट 45 सेकण्ड से कम	6	3 मिनट 40 सेकण्ड से कम	6
	3 मिनट तक	3	4 मिनट तक	3
	3 मिनट से अधिक	0	4 मिनट से अधिक	0
लंबी कूद (3 प्रयास)	5.50 मीटर या अधिक	15	4.25 मीटर या अधिक	15
	5.25 मीटर तक	12	4 मीटर तक	12
	4.75 मीटर तक	9	3.50 मीटर तक	9
	4.25 मीटर तक	6	3 मीटर तक	6
	3.75 मीटर तक	3	2.50 मीटर तक	3
	3.75 मीटर से कम	0	2.50 मीटर से कम	0
गोला फेंक (3 प्रयास) गोले का वजन— पुरुष — 7.62 किलो महिला— 4 किलो	9 मीटर या अधिक	15	8 मीटर या अधिक	15
	8 मीटर तक	12	7 मीटर तक	12
	7 मीटर तक	9	6 मीटर तक	9
	6 मीटर तक	6	5 मीटर तक	6
	5 मीटर तक	3	4 मीटर तक	3
	5 मीटर से कम	0	4 मीटर से कम	0

अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सभी प्रतिस्पर्धाओं हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(9.7) **बोनस अंक**— उम्मीदवार को नीचे उल्लेखित शीर्ष की विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 5 बोनस अंक दिये जायेंगे। विशेष योग्यता के बोनस अंक कुल मिलाकर 10 से अधिक नहीं होंगे।

(9.7.1) एन.सी.सी. के "सी" सर्टिफिकेट का न्यूनतम "बी" ग्रेड का प्रमाणपत्रधारी।

(9.7.2) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता — केवल उन अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, कि :-

- i) टीम स्पर्धा में केवल विजेता एवं उप विजेता एवं
- ii) व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को ही बोनस अंक की पात्रता होगी।

(10) **चयन सूची**— हायर सेकेण्डरी (निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा) में प्राप्तांकों, शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं बोनस अंकों के आधार पर प्रावीण्यता सूची तैयार की जायेगी। प्रावीण्यता सूची निम्नानुसार अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी: —

- i) हायर सेकेण्डरी परीक्षा (निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा) में प्राप्तांकों के आधार पर अधिकतम — 40 अंक  
अभ्यर्थी को हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों को 40 अंक के प्रतिशत अनुपात में अंक प्रदाय किये जायेंगे।

उदाहरणतः— 100 प्रतिशत अंक के लिए — 40 अंक

80 प्रतिशत अंक के लिए — 32 अंक

50 प्रतिशत अंक के लिए — 20 अंक

- ii) शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कुल 60 अंक में से प्राप्त अंक

iii) बोनस अंक

(11) **पैदल चालन परीक्षा**— प्रावीण्यता सूची के उम्मीदवारों को पैदल चालन परीक्षा देनी होगी। पुरुष उम्मीदवार को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी करनी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं होंगे। समस्त उम्मीदवारों को पैदल चालन निर्धारित समय पूरा करना अनिवार्य होगा। पैदल चालन परीक्षा हेतु केवल एक अवसर दिया जायेगा।

(12) पैदल चालन परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को सीधी भर्ती के लिए अंतिम प्राविण्यता (गुणा गुण) सूची: —

- i) हायर सेकेण्डरी (निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा) में प्राप्तांकों का वेटेज— 40 अंक

- ii) शारीरिक दक्षता परीक्षा — 60 अंक

- iii) बोनस अंक

के आधार पर तैयार की जायेगी।



13. मू०पू० सैनिक के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। इस हेतु आवश्यक मूल अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

14. नियम एवं शर्तें :-

- 14.1 पदों की संभावित रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
- 14.2 छ.ग. के किसी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करना आवश्यक है।
- 14.3 अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
- 14.4 आवेदन करने के अंतिम तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है। आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें, बाद में अभ्यर्थी के द्वारा जन्म तिथि, वर्ग, विषय आदि में परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
- 14.5 कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- 14.6 कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- 14.7 अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- 14.8 कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, इनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।
- 14.9 पात्रता के लिये अन्य नियम एवं शर्तें छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।
- 14.10 रिक्त पद, निर्धारित अर्हता, चयन प्रक्रिया तथा अन्य संबंधित जानकारी वन विभाग की वेबसाइट [www.cgforest.com](http://www.cgforest.com) पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को पत्र प्रेषित नहीं किया जावेगा। अतः अभ्यर्थी [www.cgforest.com](http://www.cgforest.com) का निरंतर अवलोकन करते रहें।
- 14.11 आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर आवेदन पत्र भरे। चयन की किसी भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, इसके लिए किसी भी प्रकार की पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
- 14.12 विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत सूचना प्रकाशित होगी। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
- 14.13 चयन के संबंध में नियुक्तकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- 14.14 यदि किसी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से पद रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित नहीं किये जायेंगे। अपितु उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस वर्ग के लिए वह आरक्षित है।
- 14.15 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण - पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 14.16 कोई भी उम्मीदवार जिसके पास एन.सी.सी."सी" सर्टिफिकेट (न्यूनतम बी ग्रेड का प्रमाण पत्र धारी) एवं खेल कूद में प्रवीणता प्रमाण -पत्र हो तो उसका उल्लेख आवेदन पत्र पर अवश्य करें।

मुख्य वन संक्षक

सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर

परिशिष्ट-01

दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करने वाले अभिलेख

1. हाई स्कूल प्रमाण-पत्र की मूल एवं छायाप्रति ।
2. वनरक्षक के लिये शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र एवं हायर सेकेण्ड्री (10+2) की अंक सूची की मूल प्रति एवं छायाप्रति ।
3. खेलकूद प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति ।
4. एन0सी0सी0 सर्टिफिकेट प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति ।
5. जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति ।
6. मूल निवास प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति ।
7. राजेगार कार्यालय को पंजीयन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति ।
8. जन्मतिथि प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति ।
9. क्रिमीलेयर न होने संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति ।
10. भू0पू0 सैनिक (यदि हो तो) सेवा अवधि, सेवा निवृत्त तथा अन्य मूल अभिलेख एवं छायाप्रति ।
11. अन्य आवश्यक अभिलेख एवं छायाप्रति ।

मुख्य वन संरक्षक

सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर



परिशिष्ट-02

वनरक्षक सीधी भर्ती हेतु भर्ती प्रक्रिया का अनुमानित समय सारणी

क्रमांक	विवरण	दिनांक
1	2	3
01	विज्ञापन जारी करने का दिनांक	11.08.2018
02	आवेदन पत्र मंगाने की तिथि	12.08.2018 से 20.08.2018 तक
03	प्राप्त आवेदन पत्र जांच उपरांत पात्र/अपात्र की सूची जारी करने की तिथि	29.08.2018
04	प्राप्त आवेदन पत्र जांच उपरांत पात्र/अपात्र की सूची अपलोड करने की तिथि	30.08.2018 से 01.09.2018 तक
05	दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि	04.09.2018 से 07.09.2018 तक
06	दावा आपत्ति का निराकरण कर वनमण्डलों द्वारा पात्र उम्मीदवारों की सूची वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करने की तिथि	10.09.2018 से 11.09.2018 तक
07	दावा आपत्ति निराकरण उपरांत पात्र उम्मीदवारों की अंतिम वरियता सूची अपलोड करने की तिथि	12.09.2018 से 14.09.2018 तक
08	मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु उम्मीदवारों को दिनांक एवं स्थान (सूचना पृथक से दी जावेगी) में उपस्थित होने की तिथि	17.09.2018
09	शारीरिक क्षमता एवं खेलकूद की तिथि एवं प्रमाण-पत्रों का सत्यापन	18.09.2018 से 20.09.2018 तक
10	पैदल चाल टेस्ट	22.09.2018
11	परीक्षा परिणाम+वर्गवार चयन सूची जारी करने की तिथि	24.09.2018 से 25.09.2018 तक
12	नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि	26.09.2018

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त समय सीमा अनुमानित है। प्रत्येक कार्य हेतु वास्तविक समय सीमा निर्धारण समय-समय पर [www.cgforest.com](http://www.cgforest.com) वेबसाईट पर दर्शाया जायेगा। अभ्यर्थियों को पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।

मुख्य वन संरक्षक  
सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर